प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ की सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम की 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अधीन भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के अधीन सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) के द्वारा सत्यापित लेखों की पूरक लेखापरीक्षा सीएजी के अधिकारियों द्वारा की जाती है तथा सीएजी अपनी टिप्पणियाँ देते हैं या सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों को अनुपूरित करते हैं। इसके अतिरिक्त, इन कम्पनियों की नमूना लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19–ए के प्रावधानों के अधीन सरकारी कम्पनी या निगम के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन सीएजी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु शासन को दिये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं जो वर्ष 2017–18 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा में ध्यान में आए तथा वे भी जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए, परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे। वर्ष 2017–18 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी जहाँ भी संबंधित एवं आवश्यक थे, सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए की गई है।